जननी सुरक्षा योजना

प्रश्नः– जेएसवाई का पुरा नाम क्या है?

जवाबः– जननी सुरक्षा योजना

प्रश्नः– जननी सुरक्षा योजना, यह योजना कब चालू की गई?

जवाबः– जननी सुरक्षा योजना का शुभारम्भ राजस्थान में सितम्बर 2005 से किया गया।

प्रश्नः– जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

जवाबः– जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, साथ ही साथ संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्वि करना।

प्रश्नः– जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कौनसे चिकित्सा संस्थान आते है?

जवाबः–इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थान एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जेएसवाई में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान शामिल है।

प्रश्नः– जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत क्या प्रसुताओं को कोई परिलाभ/प्रोत्साहन राशि दी जाती है?

जवाबः– इस योजना के अन्तर्गत के समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थान एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जेएसवाई में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में संस्थागत प्रसव कराने पर प्रसुताओं को परिलाभ/प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की प्रसुता को रूपये 1400/– एवं शहरी क्षेत्र की प्रसुता को रूपये 1000/– दिये जाते है।

प्रश्नः– क्या जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ/प्रोत्साहन राशि सभी प्राईवेट चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव पर मिलता है?

जवाबः– नही, जननी सुरक्षा योजना का लाभ केवल राजकीय चिकित्सा संस्थान एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जेएसवाई में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान पर ही देय है।

प्रश्नः– जननी सुरक्षा योजना में और किन–किन लोगो को आर्थिक परिलाभ दिया जाता है?

जवाबः– इस योजना का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, साथ ही संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्वि करना है, केवल आर्थिक परिलाभ दिया जाना नही है। इस योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव पर प्रसुताओं के अतिरिक्त क्षेत्र की आशा सहयोगिनी को संस्थागत प्रसव करवाने पर प्रेरक राशि दी जाती है।

प्रश्नः– जननी सुरक्षा योजना में आशा सहयोगिनी को संस्थागत प्रसव करवाने पर कितनी प्रेरक राशि दी जाती है?

जवाबः– इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की आशा सहयोगिनी को प्रत्येक संस्थागत प्रसव पर प्रेरक राशि रूपये 300/– एवं शहरी क्षेत्र की आशा सहयोगिनी को प्रत्येक संस्थागत प्रसव पर प्रेरक राशि रूपये 200/– दी जाती है।

प्रश्नः– क्या जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों पर प्रसव करवाने पर आशा–सहयोगिनियों को प्रेरक राशि दी जाती है?

जवाबः– नही, आशा सहयोगिनियों को केवल राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर संस्थागत प्रसव करवाने पर ही प्रेरक राशि देय है।

प्रश्नः– जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसुताओं को संस्थागत प्रसव पर देय प्रोत्साहन राशि हेतु, प्रसुता को अस्पताल में कितने समय ठहराव करना/भर्ती रहना आवश्यक है?

जवाबः– राज्य में मेडिकल कॉलेज संबंधित चिकित्सालय पर प्रसूता को प्रसव उपरान्त कम से कम 24 घंटे का ठहराव होने पर ही जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ देय है। शेष अन्य चिकित्सा संस्थानों पर प्रसूता को प्रसव उपरान्त कम से कम 48 घंटे का ठहराव होने पर ही जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ देय है।

प्रश्नः– क्या जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्रसुता द्वारा अस्पताल में कॉटेज की सुविधा लिये जाने पर भी देय है?
जवाबः– जिन प्रसुताओं द्वारा कॉटेज की सुविधा ली जाती है उन्हे जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि देय नही है।

प्रश्नः– क्या एम्बुलेंस में प्रसव होने पर प्रसूता को जननी सुरक्षा योजना का लाभ देय है?
जवाबः– एम्बुलेंस में प्रसव होने के तुरन्त पश्चात् राजकीय या अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में 48 घंटे तक प्रसूता यदि भर्ती रहती है तो उसे जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाता है।

प्रश्नः– जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ किस प्रकार दिया जा रहा है?
जवाबः– 1 अगस्त 2015 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्चत्तर राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर एवं 13 दिसम्बर 2016 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे हस्तानान्तरित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना

प्रश्नः— मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना क्या है?

जवाबः— राज्य में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने एवं लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2013 से मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना प्रारम्भ की गयी। इसमें जीवित बालिका जन्म पर 5 वर्ष तक योजना के प्रावधान अनुसार 3 किस्तों में कुल 7300/— रूपये की प्रोत्साहन राशि देय है। 1 जून 2016 से प्रदेश में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू कर दी गई है।

प्रश्नः— मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ कौन—कौन से चिकित्सा संस्थानों पर दिया जाता है?

जवाबः— इस योजना के अतंर्गत राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव पर जीवित बालिका जन्म पर परिलाभ देय है।

प्रश्नः— मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त कब व कितनी राशि दी रही थी?

जवाबः— इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में जीवित बालिका जन्म पर महिला को 2100/— रूपये की राशि प्रथम परिलाभ के रूप में दी जा रही थी, यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अतंर्गत देय राशि के अतिरिक्त है। दिनांक 31 मई 2016 के पश्चात जन्मी जीवित बालिकाओं को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रश्नः— मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत द्वितीय व तृतीय किश्त कब व कितनी राशि दी जाती है?

जवाबः— बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर बालिका के उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर महिला को 2100/—रूपये की राशि द्वितीय परिलाभ के रूप में 1 अप्रैल 2014 से देय है। बालिका की उम्र 5 वर्ष पूर्ण होने पर अथवा स्कूल में प्रवेश लेने पर योजना का तीसरा लाभ 3100/—रूपये की राशि 1 अप्रैल 2018 से देय है।

प्रश्नः— मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत दिया जा रहा परिलाभ क्या एक से अधिक जीवित बालिकाओ पर भी देय है?

जवाबः— इस योजना के अन्तर्गत एक से अधिक बालिका के एक ही प्रसव में होने पर जीवित बालिकाओं की संख्या के आधार पर उतनी ही संख्या में लाभ 2100/— रूपये के गुणांक में देय है।

प्रश्नः— अगर किसी प्रसुता द्वारा कॉटेज की सुविधा प्राप्त की गई थी तो भी उसे मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का प्रथम परिलाभ देय था?

जवाबः— इस योजना का लाभ कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसुताओं को भी देय था।

प्रश्नः— क्या शुभलक्ष्मी योजना का परिलाभ राज्य के बाहर निवासियों को भी देय है?

जवाबः— इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही देय है।

प्रश्नः— 1 जून 2016 से पहले जन्मी जीवित बालिकाओं को शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत द्वितीय किश्त एवं तृतीय किश्त दी जावेगी अथवा नही?

जवाबः— 31 मई 2016 के मध्यरात्री 12 बजे तक जन्मी सभी जीवित बालिकाओं को योजना के प्रावधान अनुसार शुभलक्ष्मी योजना की प्रथम, द्वितीय, तृतीय किश्त देय होगी।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

प्रश्नः— मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है व इसे कब से लागू किया गया है?

जवाबः— बालिकाओं के समग्र विकास हेतु, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए, राज्य में 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है। यह योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत कुल छः किश्तों में योजना के प्रावधान अनुसार प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता —पिता/अभिभावक को कुल राशि रूपये 50000/— अधिकतम का परिलाभ नियमानुसार देय है।

प्रश्नः— मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ कौन—कौन से चिकित्सा संस्थानों पर दिया जाता है?

जवाबः— इस योजना के अतंर्गत राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव पर जीवित बालिका जन्म पर परिलाभ देय है।

प्रश्नः— मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त कब व कितनी राशि देय है?

जवाबः— इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 1 जून 2016 या इसके बाद राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में जीवित बालिका जन्म पर महिला को 2500/— रूपये की राशि प्रथम परिलाभ के रूप में दी जा रही है, यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अतंर्गत देय राशि के अतिरिक्त है।

प्रश्नः— मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय द्वितीय परिलाभ व अन्य परिलाभ कब कब व कितना देय होगा?

जवाबः— इस योजना के अन्तर्गत बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर बालिका के उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर 2500/—रूपये की राशि **द्वितीय परिलाभ** के रूप में दिनांक 1 जून 2017 से देय होगी। शेष देय परिलाभ योजना के प्रावधान अनुसार चार किश्तों में देय होंगे। जिसमें बालिका के किसी भी राजकीय विधालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000/—रूपये की राशि, बालिका के किसी भी राजकीय विधालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000/—रूपये की राशि, बालिका के किसी भी राजकीय विधालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000/—रूपये की राशि, बालिका के किसी भी राजकीय विधालय में कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 25000/—रूपये की राशि, बालिका के नाम से देय होगी।

प्रश्नः– मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ लिये जाने हेतु क्या–क्या दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे?

जवाबः– संस्थागत प्रसव पर प्रसूता का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाता विवरण दिये जाने उपरान्त ही देय होगा।

प्रश्नः– मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत दिया जा रहा परिलाभ क्या एक से अधिक जीवित बालिकाओ पर भी देय है?

जवाबः– इस योजना के अन्तर्गत एक से अधिक बालिका के एक ही प्रसव में होने पर जीवित बालिकाओं की संख्या के आधार पर उतनी ही संख्या में लाभ 2500/– रूपये के गुणांक में देय है।

प्रश्नः– अगर किसी प्रसुता द्वारा कॉटेज की सुविधा प्राप्त की गई थी तो भी उसे मुख्यमंत्री राजश्री योजना का प्रथम परिलाभ देय होगा?

जवाबः– इस योजना का लाभ कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसुताओं को भी देय होगा।

प्रश्नः– क्या राजश्री योजना का परिलाभ राज्य के बाहर निवासियों को भी देय है?

जवाबः– इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही देय है। ऐसी प्रसुताऐं जो कि राजस्थान की मुल निवासी है तथा उनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है ऐसे केसेज मे भी बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का परिलाभ भी देय होगा।

प्रश्नः– मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ कितनी बालिकाओं पर देय होगा?

जवाबः– अलग अलग प्रसव पर अधिकतम दो बालिकाऐं व एक ही प्रसव में जितनी भी बालिकाऐं जन्मी हो, उनको योजना का लाभ देय होगा।

प्रश्नः– मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ किस प्रकार एवं किस विभाग द्वारा देय होंगे?

जवाबः– इस योजना के अन्तर्गत प्रथम दो परिलाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 01 जून 2016 से अकांउट पेयी चैक के माध्यम से दिये जा रहे है। शेष अन्य परिलाभ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तय प्रावधान अनुसार दिये जावेंगे।

OJAS - ओजस

प्रश्नः— ओजस का पूरा नाम क्या है?

जवाबः— Online JSY And Shubhlaxmi (Online JSY And Shubhlaxmi Payment System)

प्रश्नः— ओजस सॉफ्टवेयर क्या है ?

जवाबः— ओजस एक ऑनलाईन सॉफ्टवेयर है, 'जिसके माध्यम से 1 अगस्त 2015 से राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उच्चतर संस्थानों यथा सैटेलाइट अस्पताल, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेत संबंधित संस्थानों में डीबीटी प्रणाली द्वारा', संस्थागत प्रसव पर प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना एवं 31 मई 2016 तक जीवित जन्मी बालिका वाले केसेज को शुभलक्ष्मी योजना एवं 01 जून 2016 से राजश्री योजना के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जा रहा है। 13 दिसम्बर 2016 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी परिलाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जा रहा है।

प्रश्नः— ओजस हैल्पलाईन नम्बर क्या है? जहाँ से ओजस के माध्यम से भुगतान सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में लाभार्थी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ?

जवाबः— ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान सम्बन्धी समस्यओं के निराकरण हेतु राज्य पर स्थापित हैल्पलाईन के मोबाईल नम्बर 8290266668 एवं 8290266669 पर फोन कर लाभार्थी समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्नः— प्रथम चरण मे ओजस सॉफ्टवेयर किन संस्थाओं पर लागू किया गया था ?

जवाबः— प्रथम चरण में ओजस सॉफ्टवेयर राज्य के समस्त सीएचसी एवं उच्चत्तर राजकीय चिकित्सालयों यथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैटेलाईट हॉस्पिटल, उप–जिला अस्पताल, जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज से सम्बद्धित अस्पतालों मे लागू किया गया था, परन्तु दिनांक 13 दिसम्बर 2016 से अब यह समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी क्रियान्वित है।

प्रश्नः— क्या ओजस में पेमेंट के लिये महिला का स्वंय का बैंक अकाउन्ट होना अनिवार्य है ?

जवाबः— हॉ, ओजस के माध्यम से सिर्फ महिला के स्वंय के बैंक अकाउन्ट में ही पेमेंट होगा।

प्रश्नः— प्रसव के उपरान्त प्रसूता को जननी सुरक्षा योजना एवं परिवहन राशि का भुगतान ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कितने समय के बाद किया जायेगा ?

जवाबः— प्रसव के 48 घण्टे के उपरान्त प्रसूता को डिस्चार्ज करने पर जननी सुरक्षा योजना एवं परिवहन राशि का भुगतान ओजस के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। मेडिकल कॉलेज संबंधित संस्थानो पर प्रसव के 24 घण्टें के उपरान्त प्रसुता को डिस्चार्ज करने पर उक्त परिलाभ दिया जा सकेगा।

प्रश्नः— किन परिस्थितियों में चैक से भुगतान किया जा सकता है ?

जवाबः– अगर प्रसूता घूमन्तु श्रेणी की है एवं बैंक खाता नही है, या किसी कारणवश ऑनलाईन भुगतान रिजेक्ट हो गया है अथवा किसी/किन्हीं विशेष परिस्थिति में प्रसूता को परिलाभ नही मिलने की दशा में राज्य स्तर से अनुमोदन पश्चात प्रसूता को A/c Payee चैक के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

जननी शिशु सुरक्षा योजना FAQ's

प्रश्न न. 1 जननी शिशु सुरक्षा योजना क्या है?

उत्तर भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सभी प्रसूताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं (शिशु को 01 वर्ष तक) सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाऐं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।

प्रश्न न. 2 जननी शिशु सुरक्षा योजना के अन्तर्गत क्या लाभ देय है?

उत्तर इस योजना के अन्तर्गत निम्न लाभ देय है–

प्रसूताओं के लिये सुविधाऐं

(1) निःशुल्क संस्थागत प्रसव।
(2) आवश्यकतानुसार निःशुल्क सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा प्रसव।
(3) निःशुल्क दवाईयां एवं अन्य आवश्यक सामग्री (Consumables)– ए.एन.सी, आई.एन.सी. एवं पी.एन.सी के दौरान 06 सप्ताह तक।
(4) निःशुल्क जांच सुविधाऐं– ए.एन.सी, आई.एन.सी. एवं पी.एन.सी के दौरान 06 सप्ताह तक।
(5) निःशुल्क भोजन।
(6) निःशुल्क रक्त सुविधा।
(7) निःशुल्क रैफरल ट्रांसपोर्ट – ए.एन.सी, आई.एन.सी. एवं पी.एन.सी के दौरान 06 सप्ताह तक आकस्मिक परिस्थितियों में।

- घर से अस्पताल तक निःशुल्क परिवहन।
- रैफरल के मामले में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के बीच निःशुल्क परिवहन।
- अस्पताल में 48 घंटे रहने के बाद घर वापस जाने के लिए निःशुल्क परिवहन।

(8) यूजर चार्जेस से छूट।

जन्म के बाद 01 वर्ष तक बीमार बच्चे के हक

(1) निःशुल्क ईलाज।
(2) निःशुल्क दवाईयां एवं अन्य आवश्यक सामग्री (Consumables)।
(3) निःशुल्क जांच सुविधाऐं।
(4) निःशुल्क रक्त सुविधा।
(5) निःशुल्क रैफरल ट्रांसपोर्ट।

- घर से अस्पताल तक निःशुल्क परिवहन।
- रैफरल के मामले में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के बीच निःशुल्क परिवहन।
- अस्पताल में 48 घंटे रहने के बाद घर वापस जाने के लिए निःशुल्क परिवहन।

(8) यूजर चार्जेस से छूट।

प्रश्न न. 3 इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता क्या हैं?

उत्तर राजकीय चिकित्सा संस्थान में प्रसव पर।

प्रश्न न. 4 क्या एम्बुलेंस में प्रसव होने पर प्रसूता को जननी शिशु सुरक्षा योजना का लाभ देय है?

उत्तर एम्बुलेंस में प्रसव होने के तुरन्त पश्चात् राजकीय चिकित्सालय में 48 घंटे तक प्रसूता यदि भर्ती रहती है तो उसे जननी शिशु सुरक्षा योजना का लाभ देय है।

प्रश्न न. 5 क्या प्रसूताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं के रैफरल ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट और निजी वाहन उपयोग में लिये जा सकते है?

उत्तर हां, परन्तु जीवनवाहिनी का उपयोग अधिक से अधिक किये जाने पर out of pocket expenditure में कमी आयेगी।

प्रश्न न. 6 क्या कॉटेज लेने वाली महिलाओं को जननी शिशु सुरक्षा योजना का परिलाभ देय है?

उत्तर हां

प्रश्न न. 7 जननी शिशु सुरक्षा योजना के दौरान कोई आर्थिक परिलाभ भी दिया जाता है?

उत्तर नहीं, इसमें सभी आवश्यक सुविधायें निःशुल्क दी जाती हैं।

प्रश्न न. 8 क्या सरकारी अस्पतालों में भर्ती अन्य राज्य की महिला को जननी शिशु सुरक्षा योजना की निःशुल्क सुविधायें देय है?

उत्तर हां

FAQ Maternal Death (200/- Mobile Recharge)

प्रश्नः— मातृ मृत्यु अनुपात किसे कहते है ?

उत्तर— एक लाख जीवित जन्म पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या मातृ मृत्यु अनुपात कहलाती है।

प्रश्नः— मातृ मृत्यु किसे कहते है ?

उत्तर— गर्भावस्था प्रसव दौरान व प्रसव पश्चात 42 दिन के भीतर गर्भावस्था के कारणों से होने वाली 15 से 49 वर्ष की महिला की मृत्यु को मातृ मृत्यु कहते हैं।

प्रश्नः— महिला की मृत्यु की सूचना देने पर क्या कोई प्रोत्साहन राशि है ?

उत्तर— मातृ मृत्यु किसी भी 15—49 वर्ष की महिला की मृत्यु किसी भी कारण से घर/रास्ते मे हो जाती है तो उसकी सूचना 104 अथवा ईमित्र कियोस्क मे माध्यम से 24 घण्टे के भीतर देने पर प्रथम सूचना प्रदाता को राशि रू 200/— का मोबाइल रिचार्ज किया जायेगा।

प्रश्नः— किस महिला मृत्यु की सूचना दी जा सकती है ?

उत्तर— जिन महिलाओ की उम्र 15 वर्ष से 49 वर्ष हो तथा मृत्यु रास्ते/घर पर हुई हो चाहे मृत्यु किसी भी कारण से हुई हो उनकी सूचना दी जानी है।

प्रश्नः— मृत महिला के संबंध में क्या—क्या जानकारी देनी होगी ?

उत्तर— महिला की अनुमानित आयु, मृत्यु की दिनांक, समय, स्थान, पता, शहर का नाम, गॉव का नाम, जिला व कारण आदि की सूचना दी जायेगी।

प्रश्नः— क्या कोई भी व्यक्ति मृत महिला की सूचना दे सकता है ?

उत्तर— हां, कोई भी व्यक्ति मृत महिला की सूचना दे सकता है।

प्रश्नः— मृत्यु की कितनी अवधि में सूचित किया जाना चाहिए ?

उत्तर— मृत्यु के 24 घण्टे के भीतर।

प्रश्नः— क्या एक ही समय में एक से अधिक महिलाओं की मृत्यु हुयी है, तो उसकी सूचना दी जा सकती है ?

उत्तर— हॉ, एक समय मे एक से अधिक महिला मृत्यु (उम्र 15 वर्ष से 49 वर्ष तक) होने पर मृत्यु के 24 घण्टे के भीतर सूचना दी सकती है।

प्रश्नः— वर्तमान में आशा/आगनवाड़ी कार्यकर्ता को सूचना के बदले राशि दी जा रही है क्या ?

उत्तर— नही, अतः उनके द्वारा भी मृत्यु के 24 घण्टे के भीतर सूचना दिये जाने पर उन्हे भी इस योजना (राशि रू 200/— का मोबाईल रिचार्ज) का लाभ मिलेगा।

प्रश्नः— मातृ मृत्यु के क्या—क्या कारण है ?

उत्तर— मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण — रक्त स्त्राव, संक्रमण, उक्त रक्त चाप, गर्भपात एवं खून की कमी आदि है।

प्रश्नः— महिला की किस स्थान पर मृत्यु होने की सूचना देने पर मोबाइल रिचार्ज नही किया जायेगा?

उत्तर— महिला की किसी भी अस्पताल में मृत्यु होने की सूचना देने पर मोबाइल रिचार्ज नही किया जायेगा।

प्रसवपूर्व जांच

प्रश्नः–1 प्रसवपूर्व जांच क्या होती है?
जवाबः– प्रसवपूर्व जांच गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का क्रमबद्ध निरीक्षण होता है तथा इस दौरान गर्भवती महिला की विभिन्न जांचें जैसे–रक्तचाप, खून की जांच, पेट की जांच इत्यादि की जाती है।

प्रश्नः–2 प्रसवपूर्व जांच की क्या उपयोगिता है?
जवाबः– प्रसवपूर्व जांच गर्भवती महिला एवं बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है तथा गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं से बचाव एवं देखभाल प्रदान कराती है।

प्रश्नः–3 गर्भवती महिला की प्रसवपूर्व जांचें कब–कब की जाती है?
जवाबः– एक गर्भवती महिला की चार प्रसवपूर्व जांचें की जाती है। **प्रथम जांच** : 12 सप्ताह के भीतर अथवा गर्भावस्था का पता चलने के साथ ही जितनी जल्दी हो सके। **द्वितीय जांच** : 14–26 सप्ताह के भीतर। **तृतीय जांच** : 28–34 सप्ताह के भीतर। **चतुर्थ जांच :** 36 सप्ताह से प्रसव काल तक।

प्रश्नः–4 प्रसवपूर्व जांच के समय गर्भवती महिला की कौन–कौनसी जांचें की जाती है?
जवाबः– प्रसवपूर्व जांच के दौरान एक गर्भवती महिला की रक्त चाप, वजन, ऊंचाई नापना, खून की जांच, मूत्र में शक्कर एवं प्रोटीन की जांच करना, गर्भवती महिला को टी.टी. इंजेक्शन लगाना, पेट की जांच एवं आयरन की गोलियां दी जाती है ताकि महिला में खून की कमी को पूरी किया जा सके।

प्रश्नः–5 प्रसवपूर्व जांच के और क्या फायदे है?
जवाबः– प्रसवपूर्व जांच के द्वारा गर्भवती महिला में समय पर अधिक जोखिम वाले लक्षणों का पता कर सही समय पर उच्च संस्थान पर रेफर कर माँ एवं बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाता है।

कुशल मंगल कार्यक्रम
FAQ

प्रश्नः1 कुशल मंगल कार्यक्रम क्या है ?

उत्तरः 'कुशल मंगल कार्यक्रम' हाईरिस्क प्रेगनेन्सी के चिन्हिकरण, लाइनलिस्टिंग, उपचार एवं फोलोअप की एक समेकित योजना है।

प्रश्नः2 सामान्य एएनसी में और कुशल मंगल कार्यक्रम में क्या फर्क है ?

उत्तरः सामान्य एएनसी में एएनएम द्वारा सामान्य गर्भवती महिला की चार एएनसी जांच की जाती है जबकि कुशल मंगल कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओ को एएनएम द्वारा चिन्हित कर स्त्रीरोग विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी से परामर्श उपरान्त उनका स्वास्थ्य प्रबंधन किया जाता है।

प्रश्नः3 एचआरपी क्या होती है ?

उत्तरः ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनमें गर्भावस्था काल में कुछ जटिलताएं होती है जिनके कारण माँ एवं शिशु की जान को खतरा हो सकता है ऐसी गर्भवती महिलाओं को एचआरपी कहा जाता है।

प्रश्नः4 एचआरपी की पहचान कहां व कौन करेगा ?

उत्तरः एचआरपी का चिन्हिकरण उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर एएनसी जांचों के दौरान कर संबंधित प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी से आवश्यक जांच करवाकर एचआरपी की पुष्टि की जायेगी।

प्रश्न 5: लाल व पीले स्टीकर में क्या अन्तर होता है ?

उत्तरः जैसे ही गर्भवती महिला एचआरपी चिन्हित होगी उसके ममता कार्ड पर एनिमिया के लिए लाल स्टीकर एवं अन्य जटिलताओं के लिए पीला स्टीकर चिपकाया जायेगा यदि गर्भवती महिला में दोनो जटिलताएं है तो दोनो स्टीकर चिपकाते हुए दिनांक अंकित करे।

प्रश्नः6 एक एएनएम के क्षेत्र में कितनी एचआरपी होने की संभावना है ?

उत्तरः लगभग 3000 आबादी वाले क्षेत्र में किसी भी समय लगभग 70-75 गर्भवती महिलाएं उपलब्ध होगी इनमें से 10 प्रतिशत की दर से 7–8 एचआरपी हो सकती है।

प्रश्नः7 एएनएम को एएनसी में क्या करना है ?

उत्तरः एएनएम को एएनसी जांच के दौरान न्यूनतम 4 जांचे यथा वजन, बीपी, हिमोग्लोबिन, यूरिन, कद एवं पेट की जांच अवश्य करनी है।

प्रश्नः8 एएनसी कब–कब करानी है ?

उत्तरः चिकित्सक/विशेषज्ञ की सलाहानुसार एवं उनके द्वारा दी गई दिनांक पर आवश्यक रूप से अतिरिक्त एएनसी जांच करानी है।

प्रश्नः9 आशा को एएनसी में क्या करना है ?

उत्तरः आशा को अपने क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं को MCHN सत्र पर एएनएम बहनजी से एएनसी जांच कराने हेतु प्रोत्साहित करना।

प्रश्नः10 चिकित्सा अधिकारी क्या करेगे ?

उत्तरः एएनएम द्वारा एएनसी जांच के दौरान चिन्हित की गई एचआरपी की सभी आवश्यक जांचे कर एचआरपी की पुष्टि करना, आवश्यकतानुसार उपयुक्त उच्च चिकित्सा संस्थान पर विशेषज्ञ/स्त्रीरोग विशेषज्ञ से जांच व उपचार कराने हेतु रेफर करना, उपचार प्राप्त करने उपरान्त एएनएम से व्यक्तिशः सम्पर्क कर रिकॉर्ड को एचआरपी रजिस्टर में संधारित करना एवं प्रसवोत्तर प्रसूता एवं नवजात शिशु का एएनएम द्वारा फोलोअप करवाना।

प्रश्नः11 आयरन सुक्रोज कब, कहां व कौन लगायेगा ?

उत्तरः चिकित्सक/विशेषज्ञ की सलाहनुसार किसी भी दिवस कैम्प की प्रतीक्षा किये बिना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एवं इससे उच्चतर संस्थानों पर आयरन सुक्रोज निशुल्क लगवाया जा सकता है।

प्रश्नः12 आयरन सुक्रोज कब–कब लगेगा ?

उत्तरः आयरन सुक्रोज की मुख्य चार डोज दो–चार दिन के अन्तराल पर दो सप्ताह के अन्दर लगायी जायेगी।

प्रश्नः13 एचआरपी का फोलोअप कैसे किया जायेगा ?

उत्तरः एचआरपी फोलोअप के तीन स्तर होगे।

1. प्रसव पूर्व – चिकित्सक की सलाह एवं आवश्यकतानुसार एएनएम द्वारा फोलोअप किया जावेगा।
2. 104 कॉल सेन्टर द्वारा – चिन्हित एवं लाइनलिस्टेड एचआरपी को 104 कॉल सेन्टर के माध्यम से दूरभाष से।
3. प्रसव पश्चात् – आशा द्वारा HBPNC सेवाओं के साथ–साथ एएनएम द्वारा सातवें, अठाइसवें एवं बियालिसवें दिन पर विशेष फोलोअप।

प्रश्नः14 जीवन वाहिनी के लिए कहां फोन करना है ?

उत्तरः 104/108 में से किसी भी एक नम्बर पर आवश्यकता पड़ने पर एम्बूलेंस को फोन कर बुलाया जा सकता है।

प्रश्नः15 विशेषज्ञ जांच रिपोर्ट की सूचना रजिस्टर में कौन भरेगा ?

उत्तरः उच्च चिकित्सा संस्थान पर मिले उपचार एवं जांच की सूचना चिकित्सा अधिकारी द्वारा एएनएम से वार्ता कर अथवा उपचार पर्ची देखकर रजिस्टर में भरी जावेगी।

प्रश्नः16 विशेषज्ञ जांच रिपोर्ट की सूचना कहां दर्ज करानी है ?

उत्तरः उच्च चिकित्सा संस्थान पर मिले जांच एवं उपचार की रिपोर्ट संबंधित प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के एचआरपी रजिस्टर में दर्ज करानी है।

प्रश्नः17 वॉइस कॉल क्या है ?

उत्तरः राज्य स्तर से सीधे ही वॉइस मैसेज के माध्यम से एचआरपी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी, नियमित जांच एवं फोलोअप तथा वाहन की सूचना दी जावेगी।

प्रश्न 18ः प्रसव कहां कराना है?

उत्तरः सुरक्षित मातृत्व दिवस पर स्त्रीरोग विशेषज्ञ से जांच के बाद विशेषज्ञ की सलाहानुसार चिन्हित उपयुक्त उच्च चिकित्सा संस्थान पर प्रसव कराने की योजना बनाई जायेगी।

प्रश्न 19: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब, कहॉ कैसे मनाया जाता है?

उत्तरः प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जिला/उपजिला/सैटेलाईट/सिटी डिस्पेन्सरी सीएचसी व पीएचसी पर प्रत्येक माह की 9 तारीख को द्वितीय व तृतीय तिमाही की गर्भवतीम महिला को स्त्री रोग विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जॉच सेवाये उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न 19: सुरक्षित मातृत्व दिवस कब, कहॉ कैसे मनाया जाता है?

उत्तरः सुरक्षित मातृत्व दिवस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय व चतुर्थ शुक्रवार को स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा उच्च जोखिम वाली चयनित गर्भवती महिलाओ को गुणवत्तापूर्ण प्रसव सेवाये दी जती है।

प्रश्न 19: प्रसूति नियोजन दिवस कब, कहॉ कैसे मनाया जाता है?

उत्तरः प्रसूति नियोजन दिवस प्रत्येक माह के चतुर्थ गुरूवार को समस्त उपस्वास्थ्य केंन्द्र पर प्रसव व परिवहन संसाधन संबधी योजना दी जाती है।

सुरक्षित मातृत्व दिवस

प्रश्नः1 सुरक्षित मातृत्व दिवस क्या है ?

उत्तरः सुरक्षित मातृत्व दिवस एक कैम्प है जिसमे कैम्प के दौरान पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को स्त्री रोग विशेषज्ञ की गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच एवं सलाह की सेवायें निशुल्क प्राप्त होती है।

प्रश्नः2 सुरक्षित मातृत्व दिवस आयोजन का उद्देश्य क्या है ?

उत्तरः प्रत्येक गर्भवती महिला को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच उपलब्ध करवाते हुये उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला को चिन्हिकृत करते हुये उपचार एवं फोलोअप किये जाने के उद्देश्य से सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन प्रारम्भ किया गया है।

प्रश्नः3 सुरक्षित मातृत्व दिवस कब और कहां आयोजित होता है ?

उत्तरः सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक माह निश्चित शुक्रवार को निश्चित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित किया जाता है।

प्रश्नः4 सुरक्षित मातृत्व दिवस में क्या सेवाये दी जाती है ?

उत्तरः सुरक्षित मातृत्व दिवस के दौरान गर्भवती महिला की समस्त एएनसी जांचे जैसे– एचआईवी एवं सिफेलिस की जांच, खून की जांच, पेशाब की जांच, वजन लेना, ब्लड प्रेशर की जांच, पेट की जांच, बच्चे के हृदय स्पन्दन की जांच, प्रसव पूर्व इतिहास की जानकारी आदि की जाती है साथ ही आईएफए की गोलियां, टीटी के इन्जेक्शन, कैल्शियम की गोली तथा आवश्यकतानुसार आईवी आयरन सुक्रोज निशुल्क लगाया जाता है।

प्रश्नः5 सामान्य एएनसी में और सुरक्षित मातृत्व दिवस में क्या फर्क है ?

उत्तरः सामान्य एएनसी में एएनएम द्वारा सामान्य गर्भवती महिला की चार एएनसी जांच की जाती है जबकि सुरक्षित मातृत्व दिवस के अन्तर्गत स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच की जाती है।

प्रश्नः6 आशा को सुरक्षित मातृत्व दिवस में क्या करना है ?

उत्तरः आशा को अपने क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व दिवस पर स्त्री रोग विशेषज्ञ से एएनसी जांच कराने हेतु प्रोत्साहित करना।

प्रश्न 7: आशा/एएनएम को क्या प्रोत्साहन राशि मिलेगी ?

उत्तरः यह एएनएम व आशा का उत्तरदायित्व है इसलिए इसके लिए आपको प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी।

प्रश्न 8: प्रसव कहां कराना है?

उत्तरः सुरक्षित मातृत्व दिवस पर स्त्रीरोग विशेषज्ञ से जांच के बाद विशेषज्ञ की सलाहानुसार चिन्हित उपयुक्त उच्च चिकित्सा संस्थान पर प्रसव कराने की योजना बनाई जायेगी।

प्रसूति नियोजन दिवस

प्रश्नः1 प्रसूति नियोजन दिवस क्या है ?

उत्तरः प्रसूति नियोजन दिवस एक कैम्प है जिसमे कैम्प के दौरान पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को एएनएम अथवा चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रसव की तैयारी, उपलब्ध एम्बुलेंस के ड्राईवर के नम्बर एवं उपयुक्त चिकित्सा संस्थान चिन्हित कर प्रसव की सलाह प्रदान की जाती है।

प्रश्नः2 प्रसूति नियोजन दिवस आयोजन का उद्देश्य क्या है ?

उत्तरः प्रत्येक गर्भवती महिला को समय पर परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध करवाना तथा उपयुक्त चिकित्सा संस्थान पर सुरक्षित प्रसव के उद्देश्य से प्रसूति नियोजन दिवस का आयोजन प्रारम्भ किया गया है।

प्रश्नः3 प्रसूति नियोजन दिवस कब और कहां आयोजित होता है ?

उत्तरः प्रसूति नियोजन दिवस प्रत्येक माह के चौथे गुरूवार को उप स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित किया जाता है।

प्रश्नः4 प्रसूति नियोजन दिवस में क्या सेवाये दी जाती है ?

उत्तरः प्रसूति नियोजन दिवस के दौरान गर्भवती महिला प्रसव की तैयारी, उपलब्ध एम्बुलेंस के ड्राईवर के नम्बर एवं उपयुक्त चिकित्सा संस्थान चिन्हित कर प्रसव की सलाह प्रदान की जाती है।

प्रश्नः5 सामान्य सुरक्षित मातृत्व दिवस एवं प्रसूति नियोजन दिवस में क्या फर्क है ?

उत्तरः प्रसूति नियोजन दिवस के दौरान गर्भवती महिला प्रसव की तैयारी, उपलब्ध एम्बुलेंस के ड्राईवर के नम्बर एवं उपयुक्त चिकित्सा संस्थान चिन्हित कर प्रसव की सलाह प्रदान की जाती है जबकि सुरक्षित मातृत्व दिवस के अन्तर्गत स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच की जाती है।

प्रश्नः6 आशा को प्रसूति नियोजन दिवस में क्या करना है ?

उत्तरः आशा को अपने क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसूति नियोजन दिवस पर भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना।

प्रश्न 7: आशा/एएनएम को क्या प्रोत्साहन राशि मिलेगी ?

उत्तरः यह एएनएम व आशा का उत्तरदायित्व है इसलिए इसके लिए आपको प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी।

प्रश्न 8: प्रसव कहां कराना है?

उत्तरः सुरक्षित मातृत्व दिवस पर स्त्रीरोग विशेषज्ञ से जांच के बाद विशेषज्ञ की सलाहानुसार चिन्हित उपयुक्त उच्च चिकित्सा संस्थान पर प्रसव कराने की योजना बनाई जायेगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

प्रश्नः1 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्या है ?

उत्तरः प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक कैम्प है जिसमे कैम्प के दौरान पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी की गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच एवं सलाह की सेवायें निशुल्क प्राप्त होती है।

प्रश्नः2 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के आयोजन का उद्देश्य क्या है ?

उत्तरः प्रत्येक गर्भवती महिला को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच उपलब्ध करवाते हुये उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला को चिन्हिकृत करते हुये उपचार एवं फोलोअप किये जाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन प्रारम्भ किया गया है।

प्रश्नः3 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब और कहां आयोजित होता है ?

उत्तरः प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक माह 9 तारीख को समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला / उप जिला / सेटेलाइट अस्पताल पर आयोजित किया जाता है।

प्रश्नः4 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में क्या सेवाये दी जाती है ?

उत्तरः प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दौरान गर्भवती महिला की समस्त एएनसी जांचे जैसे– एचआईवी एवं सिफेलिस की जांच, खून की जांच, पेशाब की जांच, वजन लेना, ब्लड प्रेशर की जांच, पेट की जांच, बच्चे के हृदय स्पन्दन की जांच, प्रसव पूर्व इतिहास की जानकारी आदि की जाती है साथ ही आईएफए की गोलियां, टीटी के इन्जेक्शन, कैल्शियम की गोली तथा आवश्यकतानुसार आईवी आयरन सुक्रोज निशुल्क लगाया जाता है।

प्रश्नः5 सामान्य एएनसी में और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में क्या फर्क है ?

उत्तरः सामान्य एएनसी में एएनएम द्वारा सामान्य गर्भवती महिला की चार एएनसी जांच की जाती है जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच की जाती है।

प्रश्नः6 आशा को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में क्या करना है ?

उत्तरः आशा को अपने क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पर स्त्री रोग विशेषज्ञ से एएनसी जांच कराने हेतु प्रोत्साहित करना।

प्रश्न 7: आशा/एएनएम को क्या प्रोत्साहन राशि मिलेगी ?

उत्तरः यह एएनएम व आशा का उत्तरदायित्व है इसलिए इसके लिए आपको प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी।

प्रश्न 8: प्रसव कहां कराना है?

उत्तरः सुरक्षित मातृत्व दिवस अथवा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पर स्त्रीरोग विशेषज्ञ से जांच के बाद विशेषज्ञ की सलाहानुसार चिन्हित उपयुक्त उच्च चिकित्सा संस्थान पर प्रसव कराने की योजना बनाई जायेगी।

****